दि० 23-9-19 को पेश हो।

23-9-19 | वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 14-10-19 को पेश हो।

14-10-19 पत्रावली पेश हुई / अधिवक्ता संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर / अवकाश पर / अन्य कार्या मे व्यस्त है।
पत्रावली दि०.....1-11-19.......को पेश हो।

रीडर

1-11-19 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 18-11-19 को पेश हो।

18-11-19 वकील उभयपक्ष उप० हैं। बहस को समय चाहते हैं। अतः बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 26-11-19 को पेश हो।

26-11-19 वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 29-11-19 को पेश हो।

29-11-19 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 5-12-19 को पेश हो।

5-12-19 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 17-12-2019 को पेश हो।

17-12-19 वकील उभयपक्ष उप०। ख०नं० 4967/2.52 उदेईकलां की ता फैसला दावा मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु उभयपक्षकारान को T.I. से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रा० निर्णित शुमार हो।

कलेक्टर
(रा०मा०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| /2012 | 11.5.2019 | 17-12-2019 |

...ीक अली पुत्र मोहम्मद अली, मुसलमान निवासी उदेईकलॉ हॉल वासी ...जी कॉलोनी गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. शब्बीर अली पुत्र मोहम्मद अली, मुसलमान निवासी कॉजी कॉलोनी, गंगापुर
1/1 साजिद अली पुत्र शब्बीर अली, मुसलमान नि0 कॉजी कॉलोनी, गंगापुर
1/2 शाहिद अली पुत्र शब्बीर अली, मुसलमान नि0 कॉजी कॉलोनी, गंगापुर
1/3 आबिद अली पुत्र शब्बीर अली, मुसलमान नि0 कॉजी कॉलोनी, गंगापुर
1/4 खालिद अली पुत्र शब्बीर अली, मुसलमान नि0 कॉजी कॉलोनी, गंगापुर
1/5 मुसा0 अशरत अली पुत्री शब्बीर अली पत्नी अख्तर अली, मुसलमान नि0 कॉजी कॉलोनी, गंगापुर
1/6 मु0 असमा पुत्री शब्बीर अली पत्नी मारूफ अली, मुसलमान नि0 कॉजी कॉलोनी, गंगापुर
1/7 मु0 खालिदा पुत्री शब्बीर अली पत्नी अख्त्यार अली, मुसलमान नि0 कॉजी कॉलोनी, गंगापुर
1/8 मु0 शाहिदा पुत्री शब्बीर अली पत्नी महफूज अली, मुसलमान नि0 कॉजी कॉलोनी, गंगापुर
2. मो0 अख्तर पुत्र इस्त्याक अहमद, मुसलमान निवासी उदेई कलॉ, गंगापुर
3. मो0 अफजल पुत्र इस्त्याक अहमद, मुसलमान निवासी उदेई कलॉ, गंगापुर
4. मो0 अजमल पुत्र इस्त्याक अहमद, मुसलमान निवासी उदेई कलॉ, गंगापुर
5. मो0 अकमल पुत्र इस्त्याक अहमद, मुसलमान निवासी उदेई कलॉ, गंगापुर
6. मो0 अबूजर आयु0 15 साल पुत्र इस्त्याक अहमद नाबालिग जरिए संरक्षक पिता इस्त्याक अहमद पुत्र नियाज अहमद, मुसलमान निवासी उदेई कलॉ, गंगापुर
7. लैण्ड होल्ड तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री भागचंद पल्लीवाल, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री मनीष अग्रवाल, एड. अप्रार्थी सं0 1/1 ता 1/8 की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी सं0 2 से 6 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी में ख0न0 4967 रकबा 2.52 है0 में प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का अपने हिस्से की 1/2 भूमि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

का कब्जा है। शेष 1/2 भूमि में 78/252 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 शब्बीर अली तथा 48/252 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त का है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से मौके पर भूमि का पृथक पृथक विभाजन कर रखा है जो वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शित अपने हिस्से पर प्रार्थी काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की 1/2 भूमि को इलाहबाद बैंक गंगापुर सिटी के यहाँ रहन रखी हुई थी जिसे प्रार्थी ने वर्ष 2009 मे रहन मुक्त करा लिया है जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2065 लगायत 2068 में नामान्तकरण संख्या [illegible] दिनांक 19.1.09 से रहन मुक्ति का अंकन है। अप्रार्थीगण मुकदमे बाज एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जो आये दिन भूमि के विभाजन के सम्बन्ध में झगडा करते रहते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 से कई बार अनुरोध किया है कि वादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउन्ड से विभाजन कर अपने अपने हिस्से की अलग अलग खातेदारी करवा लेवें किन्तु अप्रार्थीगण टालमटोल करते रहे हैं। दिनांक 24.6.2012 को भी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से विभाजन हेतु ज्यादा जोर देकर कहा तो अप्रार्थीगण एकदम नाराज हो गये एवं उन्हाने उक्त भूमि का विभाजन कराने से इंकार कर दिया और धमकी दी कि यदि सायल ने इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही की तो वे प्रार्थी के हिस्से की 1/2 भूमि मुन्दर्जे पीले रंग नक्शा संलग्न वादपत्र का सायल को उपयोग उपभोग नही करने देगें तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में रिहायशी भूखण्ड काटकर दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर देंगे और प्रार्थी को उसके 1/2 हिस्से की भूमि से बेदखल कर देंगे। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वह ताफैसला दावा वादग्रस्त भूमि ख0न0 4967 रकबा 2.42 है0 वाके ग्राम उदेईकलॉ के 1/2 हिस्से मुन्दर्जे पीले रंग नक्शा संलग्न वाद पत्र में प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा पैदा न करें तथा सायल के हिस्से की उक्त भूमि में रिहायसी भूखण्ड काटकर अन्य किसी तरीके से रहन वय या हस्तान्तरण नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। भूमि खा0न0 4967 रकबा 2.52 है0 ग्राम उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी में स्थित है परन्तु प्रार्थी ने अपने वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा मे पीले रंग से

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] की भूमि होना अंकित किया है, वह गलत है। प्रार्थी ने अपने वादपत्र के साथ नजरी नक्शे की नकल नहीं दी है जो वादपत्र का अंग है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी जबाबदार का आराजी ख0न0 4957 ग्राम उदेईकलॉ व अन्य समूल [illegible] के सम्बन्ध में 100/– रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 12.3.2010 को विभाजन हो चुका है तथा उक्त बंटबारे के अनुसार ही पक्षकारान काबिज रहकर काश्त कर भूमि व फसल से लाभ लेते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी जबाबदार शांतिप्रिय व्यक्ति है जो कानून कायदे में विश्वास रखते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी जबाबदार के मध्य दिनांक 26.4.12 को किसी विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। इस कारण दिनांक 26.4.2012 को धमकी देने की बात गलत है। अप्रार्थी जबाबदार अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर भूमि से फसल से लाभान्वित होता चला आ रहा है। उसका प्रार्थी की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करवाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य करीब 30 वर्ष पूर्व समस्त भूमि का विभाजन हुआ था। वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित भूमि ख0न0 4967 में जो पीला रंग सायल ने अपने कब्जे में पेश किया है वह गलत है। ख0न0 4967 में से 2.30 है0 भूमि 30 साल पूर्व हुए विभाजन में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आयी थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से में आयी उक्त भूमि में से 1.68 है0 भूमि में से ही 0.48 है0 भूमि का अप्रार्थीगण के पिता इस्त्याक अहमद को जरिए इकरार नामा विक्रय कर उस का कब्जा संभला दिया तथा 1.68 है0 भूमि में से ही 0.48 है0 भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय कर विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के हक में तहसील में रजिस्टर्ड करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से में आयी भूमि में से 0.48 है0 भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 व उनके पिता इस्त्याक को विक्रय कर दी थी तभी से अप्रार्थीगण और उनके पिता उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण ने अपनी क्रयशुदा भूमि पर चारो तरफ से पुख्ता बाउन्ड्रीवाल बना रखी है। मकान, पानी का टैंक बना रखा है जिसमें खेती को संभालने वाले अप्रार्थीगण के मजदूर निवास करते हैं। अप्रार्थीगण की करीब 20 हजार क्वि0 तूडी रखी हुई है तथा 10 ट्रक निर्माण के लिए ईंट रखी हुई है, बजरी पडी हुई है और पट्टियां तथा पत्थर पडे हुए हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने पहले उक्त भूमि अपने बहनोई को विक्रय की थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व उसके बहनोई दोनो ने मिलकर जरिए इकरारनामा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

जरिए में अप्रार्थीगण व उनके पिता इस्त्याक को विक्रय कर दी थी और तभी से अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को भी है। प्रार्थी ने उक्त विक्रय पर अपनी मौन स्वीकृति भी दे दी थी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के कब्जे का कभी विरोध नही किया गया है तथा अप्रार्थीगण के नाम के बोर्ड भी उक्त जमीन में लगे हुए हैं। वर्तमान में उक्त भूमि की कीमत काफी बढ चुकी है इसलिए प्रार्थी की अब नीयत खराब हो गई है। प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य करीब 30 साल पहले विभाजन हुआ था उसमे किसी प्रकार का विवाद पैदा नही हो इसलिए उसी विभाजन के अनुसार दोनों की सहमति से एक बटबारा पत्र 100/—रू0 के स्टाम्प पर दिनांक 12.7.2010 को तहरीर किया गया था जिसमें अतीक अली व शब्बीर अली दोनों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर उसे नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवा दिया है जो अपने आप मे इस बात को इंगित करता है कि सायल एवं गैरसायल के मध्य तीस साल पूर्व विभाजन हो गया था लेकिन अब प्रार्थी ने झूंठे तथ्यों के आधार पर यह टी.आई. प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि ख0न0 4967 के जरीए नक्शे में पीले रंग से दर्शित भूमि पर अप्राथी संख्या 2 लगाय 6 का कब्जा चला आ रहा है तथा उसमें मकानात व पानी का टैंक बना हुआ है, चारो तरफ पुख्ता बाउन्ड्री हो रही है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नही है। इसलिए बिना कब्जे के प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे इस न्यायालय द्वारा नायव तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जो उनके पत्रांक 923 दिनांक 16.12.2013 से प्राप्त होकर पत्रावली मे संलग्न है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। जिसे संलग्न नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण इस भूमि का विभाजन नही कराना चाहते है एवं प्रार्थी की हिस्से की भूमि मे प्लाटिंग कर इसे बेचना चाहते है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अप्रार्थी न0 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य इस भूमि को लेकर दिनांक 12.3.10 को बंटवारा हो चुका है जिसकी लिखापढी 100/- के स्टाम्प पर हो रही है एवं इसी अनुसार पक्षकार भूमि पर काबिज हैं। प्रार्थी ने गलत आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 6 के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 के मध्य 30 वर्ष पूर्व इस भूमि का बंटवारा हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से मे आई 1.68 है0 भूमि को इस्त्याक अहमद को जरिए इकरारनामा विक्रय कर कब्जा संभला दिया है तथा 1.68 है0 भूमि मे से ही 0.48 है0 भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के पक्ष मे तहरीर करवा दिया है। इस खरीद के अनुसार ही अप्रार्थीगण मौके पर काबिज है जो नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2065–68 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 का 48/252 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 78/252 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी टी.आई. प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भूमि पर अपना कब्जा होना बताता है जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य तीस वर्ष पूर्व हुए विभाजन को आधार बताकर उसी अनुसार भूमि पर अपना कब्जा होना बताते है। अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि का अभीतक विधिवत विभाजन नही हुआ है एवं अपने अपने दावे अनुसार कोई भी पक्षकार मौके पर भूमि पर कब्जा प्रमाणित नही कर सका है, ऐसी स्थिति में अभिलेख मे दर्ज विवरण के अनुसार वादग्रस्त भूमि अभी अविभाजित है तथा जब तक भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच मे हिस्सा माना जाता है। चूकि पक्षकारान द्वारा अपना अपना पृथक से कब्जा प्रमाणित नही किया गया है ऐसी स्थिति मे न्याय की दृष्टि से इस वादग्रस्त भूमि की ताफैसला दावा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते है ताकि पक्षकारो के मध्य इस भूमि को लेकर कोई विवाद नही बढें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अतीक अली बनाम शब्बीर अली वगैरा, टी0आई0 प्रा0पत्र

( 6 )

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि उभपक्षकारान भूमि खसरा 4367 रकबा 2.52 है0 ग्राम उदेईकलॉ की ताफैसला दावा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल दावा के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 1.7.2.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( विजेन्द्र कुमार मीना )
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.01.15 11:51:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: